

जयपुर संस्करण

पेज-10

राजस्थान पत्रिका

दिनांक :- 18/10/2019

18/10/19 A.S.O

राजस्थान सरकार		
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज., जयपुर		
<p>डॉ. शधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302015                      ईमेल: raj.minocell@gmail.com                      वेबसाइट: www.minority.rajasthan.gov.in फोन: 0141--2711773</p>		
<p><b>विज्ञप्ति</b>  <b>अल्पसंख्यक समुदाय छात्रवृत्ति योजना (2019-20)</b></p>		
<p>अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी) हेतु संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजना-तन्तगत ऑनलाईन की अंतिम तिथि निम्नानुसार है:-</p>		
SCHEME NAME	ACTIVITIES	DATES
<b>POST MATRIC SCHOLARSHIP &amp; MERIT CUM MEANS SCHOLARSHIP</b>	Last date of online submission of Post Matric & Merit cum Means Scholarship Application	31 <sup>st</sup> October 2019
	Last date of first level Verification (Institute level Verification)	16 <sup>th</sup> November 2019
<p>ऑनलाईन फार्म भरते समय विद्यार्थियों के लिए ध्यान देने योग्य बिन्दु:-</p>		
<p>1. ऑनलाईन आवेदन के लिए विस्तृत निर्देश और चर-चर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ नेशनल स्कोलरशिप पोर्टल की वेबसाइट <a href="http://www.scholarships.gov.in">www.scholarships.gov.in</a> पर उपलब्ध है।</p>		
<p>2. जो आवेदक राज्य से बाहर अर्थात अन्य राज्यों में अध्ययनरत है, उन्हें आवेदन करते समय मूल निवास प्रमाण-पत्र शिक्षण संस्था द्वारा प्रमाणित करने के उपरांत अपलोड किया जाना है। (मूल निवास प्रमाण-पत्र जनरेट होने का विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध है)।</p>		
<p>3. आधार कार्ड व आधार नामांकन नहीं होने पर निम्न प्रक्रिया अपनायी जानी है:</p>		
<p>1. आवेदक को बैंक पासबुक (फोटो सहित) के प्रथम पेज रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड किया जाना है।</p>		
<p>2. आवेदक का मूल निवास प्रमाण-पत्र शिक्षण संस्था द्वारा प्रमाणित कर अपलोड किया जाना है।</p>		
<p><b>शैक्षणिक संस्थाओं के लिये अपील</b></p>		
<p>1. सभी शिक्षण संस्थाओं के DISE/AISHE/NCVT/SCVT वैध Codes का पुनः पंजीकरण या नवीन पंजीकरण आवश्यक है, जिससे विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन-पत्रों का सत्यापन किया जा सके।</p>		
<p>2. शिक्षण संस्थाओं के DISE/AISHE/NCVT/SCVT वैध Codes होने पर शिक्षण संस्था के नोडल अधिकारी Registration form भर कर, संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करावें, क्योंकि ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदनों हेतु संस्था का नेशनल स्कोलरशिप पोर्टल पर पंजीयन करवाया जाना आवश्यक है।</p>		
<p>छात्रवृत्ति 2019-20 से संबंधित समस्त जानकारी नेशनल स्कोलरशिप पोर्टल वेबसाइट <a href="http://www.scholarships.gov.in">www.scholarships.gov.in</a> के अतिरिक्त विभागीय वेबसाइट <a href="http://www.minority.rajasthan.gov.in">www.minority.rajasthan.gov.in</a> पर भी देख सकते हैं।</p>		
<p><b>निदेशक</b></p>		<p>अल्पसंख्यक मामलात विभाग</p>
<p>DIPR/C/8737/2019</p>		